



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1455]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2014/आषाढ़ 19, 1936

No. 1455]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2014/ASADHA 19, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2014

**का.आ. 1729(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सोमा आइसोलक्स एनएच वन टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (अपीलकर्ता) बनाम हरीश कुमार पुरी एवं अन्य (प्रतिवादी) के मामले में 2014 की सिविल अपील संख्या 4611 (जो विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19379/2013 से उत्पन्न हुई है) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17 अप्रैल, 2014 और 24 अप्रैल, 2014 के आदेश का आंशिक अनुपालन करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)की अधिसूचना संख्या का.आ. 926(अ), तारीख 06 अप्रैल, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

7.

टोल प्लाजा (चैनेज) के अवस्थान के लिए	टोल प्लाजा (चैनेज) के अवस्थान के रूप में पढ़ा जाए
(i) 146.400 किमी	रारा-1 का 111.483 किमी (घरौड़ा कस्बे के नजदीक )

[ फा.सं. भाराराप्रा/13013/428/सीओ/08-09/जीसी-अम्बाला(पानीपत-जालंधर )बीओटी ]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2014

**S.O. 1729(E).**—In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act 1956 (48 of 1956), the Central Government in partial compliance to the order dated 17th April, 2014 and 24th April, 2014 passed by Hon'ble Supreme Court. of India in Civil Appeal No. 4611 of 2014 { arising out of Special Leave Petition (Civil) No. 19379/2013 } in the matter of M/s. Soma Isolux NH One Tollway Private Limited (Appellant) V/s Harish Kumar Puri and others (Respondents) hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road

Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) bearing S.O. No. 926 (E) dated 6th April, 2009, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) namely :—

**Notes:**

7.

For Location of Toll Plaza (Chainage)	Read as Location of Toll Plaza (Chainage)
(i) Km. 146.400	Km 111-483 (Near Gharaunda Town) of NH-1

[F. No. NHAI//13013/428/CO/08-09/GC-Ambala (Panipat-Jalandhar)BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.